



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

क्रमांक:-हि०शि०वो०/गो०-1(17)/School Level Evaluation / 41/ 2021- 338-345 दिनांक- 07-07-2021

प्रेषक

सचिव
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
धर्मशाला।

प्रेषित:

समस्त प्रधानाचार्य/समन्वयक/परीक्षक
बोर्ड द्वारा स्थापित उत्तरपुरितका एकत्रीकरण केन्द्र, परीक्षा केन्द्र एवं
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशाला,
एवं बोर्ड द्वारा संबद्धता प्राप्त निजि वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशाला,
हिमाचल प्रदेश।

विषय:- बोर्ड द्वारा 13 अप्रैल, 2021 को संचालित जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं के **result tabulation** से सम्बन्धित
दस्तावेजों को एकत्रीकरण केन्द्रों में जमा करवाने की तिथियों में संशोधन बारे।
महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा जारी पत्र
क्रमांक:-हि०शि०वो०/गो०-1(17)/School Level Evaluation / 41/ 2021-303-310 दिनांक-23-06-
2021 जमा दो परीक्षा परिणाम के tabulation data से सम्बन्धित डाटा के अन्तिम अपलोड एव दस्तावेजों को
एकत्रीकरण केन्द्रों में जमा करवाने के सम्बन्ध में वर्णित तिथियों में तकनीकी कारणों से संशोधन किया गया है। जिसका
विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम	विवरण	कार्य निष्पादित करने की अन्तिम तिथि	संशोधित अन्तिम तिथि
1	अपलोड की गई अंक सूची एवं Tabulation chart की जांच एवं संशोधन तथा अंतिम अपलोड	05.7.2021 से 06.7.2021	09.07.2021
2	अंकसूचियों एवं Tabulation chart की एक हार्ड कापी व FAQ dated 26.06.21 के प्र० 8 पर दर्शाये गये दस्तावेजों को सत्यापित एवं सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर एकत्रीकरण केन्द्रों में जमा करवाना	08.07.2021	13.07.2021

उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धी दस्तावेज एकत्रीकरण केन्द्रों में जमा करवा दिये जायें।

अतिरिक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

1. निजि सचिव, अध्यक्ष एवं सचिव हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड।
2. निदेशक उच्चतर शिक्षा हि०प्र० सरकार।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि०प्र० सरकार।
4. समस्त उप निदेशक उच्चतर शिक्षा हि०प्र० सरकार।
5. समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हि०प्र० सरकार।
6. अनुभाग अधिकारी/ PIMT, Head, डाटा सैटर (IT Cell), हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिये जाते हैं कि
उपरोक्त वर्णित तिथियों से पूर्व Tabulation chart की रिपोर्ट से सम्बन्धित समस्या का तुरन्त समाधान सुनिश्चित
करें।

अतिरिक्त सचिव